संख्या-3/2018/1149/96-आयुष-1-2018-138/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 21 मार्च, 2018**

विषय- जनपद लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुडम्बा के चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-6.82 लाख (रूपया छः लाख बयासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-766/328/2017-2018/योजना; दिनांक 19.02.2018 तथा पत्र संख्या-845/328/2017-2018/योजना; दिनांक 23.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुडम्बा के भवन के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-33 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष : 4210-02-110-04-01 के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-250 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-6.82 लाख (रूपया छः लाख बयासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए में नहीं रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य मानकीकृत कार्य है। उक्त हेतु शासनादेश संख्या-04/71-आयुष-1-2015-253/2008; दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जाये।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य, जिनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है, उनके क्रय एवं स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2 के पत्र संख्या-एस0ओ0-540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अंतर्गत जेम पोर्टल से रेट कान्ट्रैक्ट की दरों पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(7) प्रायोजना के प्रस्ताव की स्वीकृति शासनादेश संख्या-04/71-आयुष-1-2015-253/2008; दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो अनुसूचित दरों में सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें प्रथमतः जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाये। यदि वांछित सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो, तो उसे बाजार/कोटेशन के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय किया जाये।

(8) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में कार्य के पूर्व/कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स, साइट के फोटोग्राफ्स तथा निर्माणाधीन/पूर्ण भवन की डिजिटल फोटो को ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, इस हेतु सक्षम स्तर की थर्ड पार्टी से जांच/निरीक्षण करायी जाये और उसकी जांच रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी की होगी।

(12) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(13) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाये। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये।

(15) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-33** के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02**-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, **110**-अस्पताल तथा औषधालय, **04**-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, **01**-अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद **24**-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

संख्या-3/2018/1149(1)/96-आयुष-1-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(8) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।